E-Mail
UP Load in side

# राजस्थान सरकार
# खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17(15)खा.वि./न्याय/2010–II        जयपुर, दिनांक 23 .05.2018

## परिपत्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 29 के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 की धारा 8 सहपठित Annex-6(3) के प्रावधानों के अनुरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के गठन, दायित्व एवं कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है:–

1. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा

| | | |
|---|---|---|
| I. | माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। | अध्यक्ष |
| II. | शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। | सदस्य |
| III. | शासन सचिव, सहकारिता विभाग। | सदस्य |
| IV. | शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग। | सदस्य |
| V. | शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग। | सदस्य |
| VI. | शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, | सदस्य |
| VII. | अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग । | सदस्य सचिव |
| VIII. | प्रबंध निदेशक, रा.रा.खा.ना.आ.निगम लि0, जयपुर। | सदस्य |
| IX. | निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग। | सदस्य |
| X. | नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान विभाग। | सदस्य |
| XI. | प्रबंध निदेशक, राजफैड, सहकारिता विभाग। | सदस्य |
| XII. | प्रबंध निदेशक, तिलम संघ, सहकारिता विभाग। | सदस्य |
| XIII. | महाप्रबंधक, प्रशासन/वित्त/विपणन, रा.रा.खा.ना.आ.निगम लि0, जयपुर | सदस्य |
| XIV. | उप विधि परामर्शी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। | सदस्य |
| XV. | विभागीय मंत्री द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिलाओं एवं दिव्यांग को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जायेगा)। | सदस्य |

M [illegible] 24/5/18

2. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का कार्यक्षेत्र, शक्तियाँ एवं कार्यविधि

i. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा। समिति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों के कियान्वयन की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेगी।

ii. राज्य स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के बेहतर कियान्वयन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु उक्तानुसार सतर्कता समिति स्थाई रूप से गठित की जायेगी, परन्तु विभागीय मंत्री द्वारा नामांकित सदस्यो का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष होगा। नामांकित सदस्यों के दिवालिया, अपराध में दोषसिद्ध अथवा शारीरिक या मानसिक रूप से कर्तव्य निर्वहन में असमर्थ होने या अपनें पद एवं शक्तियों का दुरूपयोग करने की दशा में नियुक्तिकर्ता द्वारा कार्यावधि से पूर्व भी हटाया जा सकेगा।

iii. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति जिला, ब्लॉक एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों द्वारा आयोजित बैठकों एवं उनमें की गई कार्यवाही की समीक्षा करेगी। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति को सीधे प्राप्त सतर्कता प्रकरणों पर विचार–विमर्श कर निर्णय लेने का भी अधिकार होगा। प्रत्येक प्रकरण में अन्तिम निर्णय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का होगा।

iv. गंभीर प्रकरणों में राज्य स्तरीय सतर्कता समिति आवश्यकतानुसार राज्य सरकार एवं भारत सरकार को आवश्यक कार्यवाही की अभिशंषा कर सकेगी।

v. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति कलेण्डर वर्ष के प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक अवश्य करेगी। किसी त्रैमास में अन्तिम माह तक निर्धारित तिथि पर बैठक नहीं हो पाने की स्थिति में ऐसी बैठक आवश्यक रूप से आगामी त्रैमास के प्रथम माह में कर ली जाएगी। किसी भी परिस्थिति में 2 बैठकों के मध्य अधिकतम 6 माह से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

vi. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हेतु निर्धारित कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगा। कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक आगामी तिथि के लिए स्थगित की जा सकेगी। आगामी तिथि पर स्थगित बैठक का आयोजन कोरम के अभाव में भी किया जा सकेगा।

vii. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति द्वारा की गई बैठकों का कार्यवाही विवरण विभागीय पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा तथा निर्णयों की पालना हेतु संबंधित जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी एवं विभागीय अधिकारीगण को प्रेषित किया जाएगा।

यह समिति तुरन्त प्रभाव से कार्यरत होगी तथा उक्त प्रावधानों के अध्यधीन कार्य करेगी।

M Sinha 21/5/18

(मुग्धा सिन्हा)
शासन सचिव (खाद्य)

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, जयपुर।
11. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजफैड, जयपुर।
14. समस्त प्रबंधक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, राजस्थान।
15. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, तिलम संघ, सहकारिता विभाग, जयपुर।
16. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
17. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
18. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
19. समस्त विभागीय अधिकारी, खाद्य विभाग, जयपुर।
20. रक्षा पत्रिका।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त